जो देश के दूरदराज के गांव हैं उनमें डाक व्यवस्था का कोई उपयुक्त माध्यम नहीं है । वहां डाक व्यवस्था ठीक करने के लिए चलित डाक घरों की व्यवस्था की जानी चाहिए । ये चलित डाकघर हमारे दूरदराज के गांवों में डाक सेवाएं पहुंचा सकें इस से वहां के लोगों का फायदा होगा ।

यह जो डाक विभाग है यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। किन्तु इसकी सेवाएं जितनी अच्छी होनी चाहिएं उतनी अच्छी नहीं है। यह विभाग अधिक अच्छी डाक सेवाएं दे सके और आप अधिक डाकघरों की स्थापना कर सकें इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए।

आपका जो तार का महकमा है, उसके बारे में ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप इस विभाग की सेवा में अधिक से अधिक सुधार करें जिससे कि तार जल्दी से जल्दी लोगों को मिल सकें और उसमें कोई लापरवाही नहीं कर सके।

इतना कहते हुए मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपने डाक की दरें बढ़ायी हैं उनको वापस लिया जाए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister will reply tomorrow.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

NOTIFICATION UNDER CENRTAL EXCISE RULES

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of Notification Nos. 130/82-CE and 131/82-CE (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 20th April, 1982 together with an explantory memorandum regarding modification in the scheme of excise duty exemption in respect of cotton fabrics processed without the aid of power or steam issued under the Central Excise Rules, 1944. [Placed in Library. *See* No. LT-8958/82.]

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to re-assemble at 11 A.M. tomorrow.

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday April 21, 1982/Vaisakha 1, 1904 (Saka)

GMGIPND- M -664 L.S.